

श्योपुर/भिण्ड/दतिया

पेलेट्स बनाने में पराली का होगा उपयोग

शुरुआत में 5-5 हजार टन पराली खरीदेंगे स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट
कलेक्टर बोले, पराली को जलने से रोकने सभी प्रकार के संसाधन जुटायेंगे



श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने पराली फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने की मुहिम को ओर अधिक गति प्रदान करते हुए आज पराली से पेलेट्स बनाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक कर इस सीजन-नो पराली के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर, उप संचालक कृषि श्री जीके पंचौरिया, डीपीएम एनआरएलएम श्री सोहनकृष्ण मुदगल, सहायक संचालक उद्योग श्री शुभम अग्निहोत्री सहित स्थानीय उद्यमी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने जिले में संचालित पराली आधारित उद्योगों के संचालकों से चर्चा करते हुए कहा कि अपने-अपने स्तर पर पंजाब से बेलर मशीन उपलब्ध कराने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 5-5 हजार टन पराली स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदेंगे, जिसका दो रूपये किलो के हिसाब से भुगतान भी देय होगा। उन्होंने कहा कि पेलेट्स बनाने में पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए यह एक अच्छा अवसर है, जिले में धान के रकबे को दूधियात रखते हुए प्रचुर मात्रा में पराली की उपलब्धता है। इस वेस्ट मटेरियल को प्रोसेसिंग के माध्यम से उपयोगी बनाया जा सकता है और पावर प्लांट को सप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंजाब के बेलर संचालकों से ही पूर्व में ही चर्चा कर ली जाये तथा धान कटने के समय ही कम से कम 100

सीएम हेल्पलाइन में सख्ती, दो सचिव निलंबित

7 उपयंत्रियों एवं 3 एडीईओ, 13 पंचायतों के सचिव, जीआरएस को नोटिस जारी

श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाइन के निराकरण को लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा सभी को निदेश दिये गये है कि सीएम हेल्पलाइन का निराकरण तत्परतापूर्वक गंभीरता से किया जायें। इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में रूचि नहीं लेने एवं कार्यों में लापरवाही के चलते जहां दो पंचायत सचिवों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है, वहीं जनपद पंचायतों के 7 उपयंत्रियों, 3 एडीईओ सहित 13 पंचायतों के सचिव और ग्राम रोजगार

सहायकों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है। जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत विजयपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोहर के सचिव श्री सोबरन कुशवाह तथा ग्राम पंचायत जाखेर के पंचायत सचिव श्री राजेश जादौन को शासकीय कार्यों में लापरवाही तथा सीएम हेल्पलाइन में रूचि नहीं लेने के चलते निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनो सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत विजयपुर किया गया है। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण नही करने पर जनपद पंचायत कराहल के उपयंत्री श्री अजीत गिरी, जनपद पंचायत श्योपुर के श्री दीपक धाकड़ एवं श्री

रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता हैं : आचार्य पं आशीष

मेहगांव। मेहगांव नगर के खेड़ापति हनुमान दरबार पर आयोजित 21 दिवसीय शिवमहापुराण का पंचम दिवस की कथा में कथा वक्ता आचार्य आशीष शास्त्री जी ने रुद्राक्ष एवं त्रिकुंड तिलक के महत्व के शिव पूजा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया सावन माह एक आध्यात्मिक माह है और इस माह हर नर और नारी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए भगवान शिव के पूजन के समय मनु मृति ग्रन्थ के अनुसार पुरुष को गले में सुवाफ़ी डाल कर एवं माता को सिर ढ़क कर पूजा करनी चाहिए इसी के सभी मन्त्रों को रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष की भगवान शिव के अस्तुओं से उत्पति हुई है जो भगवान शिव को



अधिक प्रिय है इसे सावन में धारण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते है रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है जो मनुष्य रुद्राक्ष को गले में हृदय के पास धारण करता है उससे हृदय रोग से मुक्ति प्राप्त होती है कथा आयोजक श्री श्री 1008 शांति दास जी महाराज के द्वारा निरन्तर कई वर्षों से श्रावण मास में कथा का आयोजन कराया जा रहा है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

दस्तक अभियान 22 जुलाई से 16 सितम्बर 2025 तक चलेगा, लगभग दो लाख ग्यारह हजार बच्चों का होगा परीक्षण



भिण्ड ब्यूरो। कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आगामी दस्तक अभियान एवं नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभागार में किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील दुबे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव, डब्ल्यू.एच.ओ. प्रतिनिधि डॉ. नीरज राजावत, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आलोक शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-2 डॉ. डी.के. शर्मा, जिला क्षय अधिकारी डॉ. देवेश शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. गौरव भटनागर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. अवधेश सोनी एवं समस्त जिला व ब्लॉक अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने निर्देशित किया की समस्त सम्बंधित विभाग व स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग की जाये तथा दस्तक अभियान के दौरान पाये गये गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती करवाया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एस. यादव ने बताया कि दस्तक अभियान के प्रथम चरण का आयोजन 22 जुलाई से 16 सितम्बर 2025 तक संचालित किया जायेगा। इस अभियान में लगभग दो लाख ग्यारह हजार बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जायेगी, जिसमें निमोनिया व गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान व रेफरल एवं प्रबंधन, डिजिटल हिमोग्लोबिनोमीटर द्वारा एनीमिया की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, दस्त रोग की पहचान एवं ओर.आर.एस. एवं जिंक टेबलेट के सम्बंध में जागरूकता, विटामिन ए की खुराक का सेवन जैसी सेवाएं प्रमुख हैं। टास्क फोर्स

बैठक में दस्तक अभियान की जानकारी देते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. गौरव भटनागर ने बताया कि बाल एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम, 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सेवाएं देने के उद्देश्य से दस्तक अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान के दौरान ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा गृह भ्रमण के दौरान जिंक और ओ.आर.एस. उपलब्ध करवाया जायेगा।

दैनिक चम्बल सुर्खी

मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित

श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर के निर्देशन में पंचायतों के उप निर्वाचन अंतर्गत नियुक्त किये गये पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीईओ जनपद श्री एसएस भटनागर, प्रशिक्षण प्रभारी श्री राजकुमार पाराशर एवं मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे। शासकीय पीजी कॉलेज श्योपुर में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 को मास्टर ट्रेनर श्री रमेश भारद्वाज, श्री विपिन विहारी शर्मा, श्रीमती निशा



वर्मा, श्री खेमराज आर्य, श्री सुशील दुबे, श्री नंद बिहारी शर्मा द्वारा सरपंच पद अंतर्गत मतदान प्रक्रिया सहित ईवीएम मशीन के संचालन तथा निर्वाचन संबंधी प्रपत्रों को भरने आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

स्कूल वाहन सहित दो मैजिक वाहन जब



श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग श्योपुर द्वारा यात्री बसों एवं अन्य वाहनों की चैकिंग के दौरान स्कूल वाहन सहित दो मैजिक वाहनों का जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में रखवाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना कुशवाह ने बताया कि श्योपुर-बड़ौदा एवं श्योपुर-खातौली मार्ग पर स्कूल बस एवं अन्य वाहनों की चैकिंग की गई, इस दौरान 15 वाहनों के दस्तावेज चैक किये गये, जिसमें से दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर दो मैजिक वाहन एवं एक स्कूल बस को जब्त करने की कार्यवाही की गई है।

पंचायत उप निर्वाचन के तहत कार्यपालिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अर्पित वर्मा द्वारा श्योपुर जिले में पंचायत उप निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपालिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये है। उप निर्वाचन के तहत जिले की तीन पंचायतों में सरपंच पद पर 22 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अर्पित वर्मा द्वारा उप निर्वाचन के तहत 22 जुलाई को मतदान शालिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार श्रीमती रजनी बघेल को दलारना कलां, नायब तहसीलदार श्री नरेन्द्र जैन को मोरावन तथा नायब तहसीलदार श्री दर्शनलाल जाटव को जाखड़ा पंचायत के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रभारी तहसीलदार वीरपुर श्री नरेश रायपुरिया रिजर्व में रहेंगे। इसी प्रकार पंचायत उप निर्वाचन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाये गये है, दलारना कला के लिए ईई जल संसाधन श्री चैतन्य चौहान, मोरावन के लिए मत्स्य अधिकारी श्री बीपी झिसिया, जाखड़ा के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ राम कुमार त्यागी को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। कार्यपालन यंत्री आरडीएस श्री रामअवतार अगरैया रिजर्व में रहेंगे।

आईटी 2.0 एप्लिकेशन का रोलआउट- डिजिटल इंडिया की ओर डाक विभाग का मजबूत कदम

22 जुलाई से मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले में लागू होगी नई प्रणाली

श्योपुर ब्यूरो। डाक सेवाओं को स्मार्ट, कुशल और भविष्य के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से डाक विभाग ने आईटी 2.0 एप्लिकेशन की शुरुआत का निर्णय लिया है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आगामी 22 जुलाई 2025 से मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों के सभी डाकघरों में यह अत्याधुनिक एप्लिकेशन लागू की जाएगी। डाक विभाग ने बताया कि इस परिवर्तनकारी पहल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा अनुभव, त्वरित लेनदेन और सरल इंटरफेस उपलब्ध कराया जाएगा। यह एप्लिकेशन आधुनिक तकनीक से युक्त है और उपभोक्ता-केंद्रित सेवाओं के लिए डिज़ाइन की गई है। इस डिजिटल बदलाव को सुचारु रूप से लागू करने के लिए 21 जुलाई 2025 को सिस्टम डाउनटाइम रखा गया है, जिसके दौरान डाकघरों में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक लेनदेन नहीं किया जाएगा। यह अस्थायी अवकाश डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और आवश्यक तकनीकी कॉन्फिगरेशन के लिए आवश्यक है। डाक विभाग ने सभी प्राहकों से अनुरोध किया है कि वे अपने जरूरी डाक-संबंधी कार्य 21 जुलाई से पहले ही संपन्न

नशा मुक्त श्योपुर बनाने शपथ ग्रहण

श्योपुर ब्यूरो। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ प्रदेशभर में 15 से 30 जुलाई तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में आज नगरपालिका परिषद श्योपुर में नशामुक्त श्योपुर बनाने के लिए अपने योगदान और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शपथ ली गई। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राधेस्मन यादव, श्री आदित्य चौहान, श्री ओम आर्य, श्री सत्यभानु जाटव, श्री सुनील दंडोतिया, श्री अरविंद पाराशर, श्री ओमवीर सिंह, श्रीमती शाहिदा परवीन, श्री जितेंद्र राव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। नशामुक्त मध्यप्रदेश बनाने के दृष्टिगत समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है।

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिण्ड द्वारा आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव 17 एवं 30 जुलाई को प्रशिक्षणार्थियों हेतु सुनहरा अवसर

भिण्ड ब्यूरो। प्राचार्य शासकीय आईटीआई भिण्ड ने बताया है कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिण्ड में प्रशिक्षणार्थ एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा विशेष अंट्रिटसिपिण ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दिनांक 17 जुलाई 2025 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिण्ड में महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लिमिटेड जयपुर द्वारा आई.टी.आई. उत्तीर्ण (फिटर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक) पुरुषध्वहिला



प्राप्त हो रही सीएम हेल्पलाइन शिकायतोंभ्रमक्ष में कार्यालयधूरभाष पर प्राप्तधोशाल मीडिया एवं अन्य स्त्रोत तथा कण्ट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों में आरएफपी अनुबंध एवं जारी आदेशचिन्हदेशों के क्रम में तृतीय चरण में अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र मेहगांव सिद्धगुरु खाद बीज पर 50 हजार रूपये, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र गोहद गुरुकुपा इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रूपये, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र आलमपुर नीलेश दुबे पर 50 हजार रूपये शक्ति अधिरोपित की जाती है। अनुबंधित ऑपरेटर, लोक सेवा केन्द्र संचालकों पर अधिरोपित शांति 03 कार्य दिवस में निर्धारित मद में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त सम्बन्ध में सख्त चेतावनी दी जाति है की लोक सेवा केन्द्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशालि होगा।

कलेक्टर ने तीन लोक सेवा केन्द्र संचालकों पर 1.5 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाये जाने और लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर की गई कार्रवाई, लोक सेवा केंद्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करने दी सख्त चेतावनी

भिण्ड ब्यूरो। कलेक्टर भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव ने लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाये जाने एवं लोक सेवा केन्द्रों की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों में आरएफपी अनुबंध एवं जारी आदेशचिन्हदेशों के क्रम में अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र मेहगांव सिद्धगुरु खाद बीज, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र गोहद गुरुकुपा इंटरप्राइजेज, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केन्द्र आलमपुर नीलेश दुबे पर 50-50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। लोक सेवा केन्द्रों की सतत निगरानी एवं आम जन को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशानुसार सुविधा प्रदान करने हेतु एवं जिला अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी एवं आरएफपी अनुबंध के अनुसार संचालन हेतु राज्य लोक सेवा अधिकरण भोपाल के पत्र दिनांक 20 फरवरी 2025 एवं प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा

दस्तक अभियान 22 जुलाई से 16 सितंबर तक

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण



श्योपुर ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में 22 जुलाई से 16 सितंबर तक दस्तक अभियान चलाया जायेगा। प्रथम चरण के इस अभियान में 7 प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायेगी। इस संबंध में सामुदायिक स्तर पर अभियान के बेहतर क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य एनीमिया आदि बीमारियों की रोकथाम एवं पूर्व प्रबंधन के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उच्च जोखिमता वाले नवजात एवं शिशुओं का चिन्हंकन करना, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में एनीमिया की जांच करना, 9 माह से 5 वर्ष तक के समस्त बच्चों को आयु अनुरूप विटामिन ए पिलाना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में शैशव एवं बाल्यकालीन निमोनिया व डायरिया की त्वरित पहचान करना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग नियंत्रण करना एवं समस्त बच्चों को ओआरएस एवं जिंक टेबलेट प्रदाय करना आदि सेवायें प्रदाय कर रोगों की रोकथाम प्रबंधन करना है।

स्वच्छता परतवाड़ा के अर्न्तगत प्रथम दिन स्वच्छता की शपथ दिलाई

श्योपुर ब्यूरो। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान श्योपुर द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, इसी क्रम में आज प्रथम दिवस जेधएसएस केपस श्योपुर में बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर श्री अजय सक्सेना, सुश्री कुसुम जादौन, सुश्री प्रीति भार्गव, श्री गोविन्द शिवहरे, श्री विकास जोशी आदि उपस्थित रहे।



मंथन

संपादकीय

निरंकुश नहीं आजादी

कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन की जरूरत बतायी है। दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ, एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आत्म-संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने चेताया है कि यदि सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। जो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। निस्संदेह, समाज में विद्वेष व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि वह नियमन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, अदालत का मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मिली आजादी असंमित कदापि नहीं है। यदि उससे सामाजिक समरसता में खलल पड़ता है तो सरकार को दखल देने का मौका मिलता है। जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिये अच्छा संकेत नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार नियंत्रित करे। सही मायनों में लोगों को समझना चाहिए कि देश की एकता व अखंडता बनाये रखना मौलिक कर्तव्य ही है। अदालत ने इस बाबत सवाल भी किया कि नागरिक स्वयं को संयमित क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट का मानना था कि लोग तभी अभिव्यक्ति की आजादी का आनन्द ले सकते हैं जब यह संयमित ढंग से व्यक्त की जाए। शीर्ष अदालत की पीठ का मानना था कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए, तभी समाज में नफरत से मुकाबला किया जा सकता है। तभी हम गंगा-जमुनी संस्कृति के समाज का निर्माण कर सकते हैं।

वैसे कई राज्यों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नियमन को लेकर सरकारी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगह विचारों की अभिव्यक्ति व कार्टून आदि बनाने को राजनीतिक दुराग्रह बताते हुए लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। जिसे सत्ताधीशों द्वारा बदले की भावना से की कार्रवाई बताया जाता रहा है। आरोप लगाया जाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप अमर्यादित अभिव्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरे राज्य में अन्य राजनीतिक दल की सरकार में यही अभिव्यक्ति अपराध बन जाती है। कहा जाता रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी द्वारा किसी मर्यादा को भंग करना घटिया या आपत्तिजनक तो हो सकता है लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे कानून के आलोक में देखा जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों द्वारा सोशल मीडिया मंच का जमकर दुरुपयोग किया जाता रहा है। वहीं लोगों का कसूर यह है कि दल विशेष के एजेंडे वाली सामग्री को वे बिना पढ़े, दूसरे लोगों व समूहों में शेयर कर देते हैं। दरअसल,आम नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनका संयमित व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री की कितनी संवेदनशीलता है। कई लोग जाने-अनजाने में ऐसी सामग्री दूसरे व्यक्तियों व समूहों में शेयर कर देते हैं जो समाज विरोधी हो सकती है। दरअसल, वे उसकी मूल सामग्री को बनाने वाले के छिपे एजेंडे को नहीं भांप पाते। कभी-कभी भावावेश में लोग ऐसे कदम उठा देते हैं। निस्संदेह, कोई भी व्यक्ति भावनात्मक दुर्बलताओं से मुक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे शेयर की जा रही सामग्री की तार्किकता पर मंथन जरूर करना चाहिए। दरअसल, सोशल मीडिया आज एक ऐसा अस्त्र बन गया है जो जरा सी चूक से घातक साबित हो सकता है। वास्तव में हर नागरिक को इतना सचेत व जागरूक होना जरूरी है कि वह विभिन्न स्रोतों से आने वाली सामग्री से जुड़ी मंशा को समझ सके। निस्संदेह, संयमित, तार्किक व सतर्क प्रतिक्रिया से हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का आनन्द ले सकते हैं।

दैनिक चम्बल सुर्खी

हम भी तो दोषी हैं राधिका की मौत के

जिस दिन राधिका की

मां का जन्मदिन था,

वह घर की साज-

सज्जा कर रही थी।

रसोई में खाना पका

रही थी, उसी वक्त

उसे तीन गोलियां

मार दी गईं। एक

पिता जिसने अपनी

बेटी को टेनिस

खेलना सिखाया था,

उसे महंगे से महंगे

रैकेट लाकर दिए थे,

जब उसके कंधे में

चोट लग गई, तो

राधिका ने टैनिस

एकेडमी खोल ली।

वह खूब चलने लगी।

पता चला कि इससे

पिता जब बाहर

निकलता, तो

आसपास के लोग

कहते कि तुम्हारी बेटी

तो तुमसे ज्यादा पैसे

कमाती है। तुम

उसकी कमाई खाते

हो।



क्षमा शर्मा

राधिका यादव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। उसने एक म्यूजिक वीडियो भी बनाया था। उसमें इनामुल हक नाम के लड़के ने काम भी किया था। इनामुल हक ने कहा कि मेरी न उससे कोई दोस्ती थी, न ही वीडियो बनाने के दौरान हमारी कोई बातचीत हुई। सवाल यह है कि इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए जब तमाम युवा ग्लोबल हो गए हैं। तब कौन किससे बात कर रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है। वह कोई भी हो सकता है-हिंदू, मुसलमान, ईसाई। कैसा समाज बना रहे हैं हम। कहा जा रहा है कि पिता वीडियो बनाने से नाराज था। उसने राधिका से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। एक लड़की अगर कुछ करना चाहती है, तो उसकी राह में इतने रोड़े क्यों हैं। खबरों में आ रहा है कि पिता पंद्रह दिनों से सोया नहीं था।

जिस दिन राधिका की मां का जन्मदिन था, वह घर की साज-सज्जा कर रही थी। रसोई में खाना पका रही थी, उसी वक्त उसे तीन गोलियां मार दी गईं। एक पिता जिसने अपनी बेटी को टेनिस खेलना सिखाया था, उसे महंगे से महंगे रैकेट लाकर दिए थे, जब उसके कंधे में चोट लग गई, तो राधिका ने टैनिस एकेडमी खोल ली। वह खूब चलने लगी। पता चला कि इससे पिता जब बाहर निकलता, तो आसपास के लोग कहते कि तुम्हारी बेटी तो तुमसे ज्यादा पैसे कमाती है। तुम उसकी कमाई खाते हो।

यह घटना गुड़गांव के उस पांश इलाके में हुई,

जिसे उत्तर भारत का साइबर सिटी कहा जाता है। चमचमाती इमारतों और बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के दफ्तरों से ये शहर भरा पड़ा है। लेकिन इन सबसे क्या होता है, जब मन में कुछ और चल रहा हो। बेटी की कमाई पिता के लिए इतनी अपमानजनक बने कि उसकी हत्या करनी पड़े। बजाय इसके कि उसकी कमाई और कुछ करने के जज्बे की तारीफ की जाती, गर्व किया जाता, उसे मौत दे दी गई। क्यों भला। जो लड़की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हो, उसे इतनी भी आजादी नहीं कि वह कोई वीडियो बना सके। एकेडमी खोल सके। आखिर जो बातें उसकी तारीफ का कारण बनतीं, वे जान लेने का कारण कैसे बन गईं।

प्रांपर्टी डीलर का व्यवसाय करने वाले पिता का कहना है कि वह पड़ोसियों के तानों से तंग आ चुका था। उसने राधिका से कहा था कि घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, वह एकेडमी बंद कर दे, मगर वह नहीं मानी।

आखिर वह क्यों मानती। इन दिनों कोई भी एकेडमी चलाना आसान बात नहीं है। मात्र तीन महीने की अवधि में ही यदि यह एकेडमी चल निकली और अच्छी आय होने लगी, तो इसमें उस लड़की के कितने प्रयत्न और मेहनत लगी होगी। अफसोस कि जिस पिता ने उसे सपने दिखाना सिखाया था, उन्हें पूरा करने में मदद की थी, उसी ने अपनी बेटी की जान ले ली। उन ताने मारने वालों का तो कुछ नहीं गया। कायदे से तो पुलिस को उन्हें पकड़ना चाहिए। पिता के साथ-साथ राधिका की हत्या में ऐसे लोगों की भी समान भागीदारी है, जिनसे एक पचीस साल की लड़की की सफलता नहीं देखी गई। ईर्ष्या के भाव ने,

ठीठ पुलों के दौर में अफसरी की फजीहत

अतुल कनक

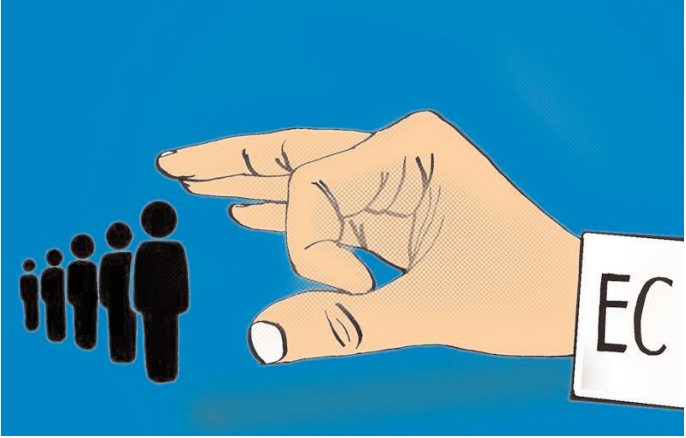
ंष्टुधक्खडुस्वस्थह्ण

बरसात के दिन आ गये हैं। बहुत सारी जगह बादल खुलकर बरसे हैं। भारी बारिश को देखकर सड़कों वाले विभाग के साहब के चेहरे पर भी खुशियां नाचने लगी हैं। साहब तो शुरू से मानते हैं कि बरखा आती है तो अपने साथ कई संभावनाएँ लेकर आती हैं। यह उन दिनों की बात है, जब साहब कॉलेज जाने लगे थे। बरखा नाम की एक लड़की से उन दिनों उनकी आंखें लड़ गई थीं। हालत यह हो गई थी कि वो-‘मैं

कहीं बादल न बन जाऊं, तेरे प्यार में ए बरखा’ टाइप की शायरी भी करने लगे थे। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि बादल बनने से अच्छा है, अफसर बनना। बरखा के भाई ने घुड़की पिलाई तो साहब ने कविताई छोड़ दी। अच्छा ही हुआ। साहब अब सोचते हैं। कविताई में ऊपर की कमाई की कोई संभावना ही नहीं होती। कविताई से किसी ने क्या पा लिया?

अब साहब का मन तो यह खबर सुनकर खिला हुआ था कि उनके इलाके में भारी बारिश हुई है और आगे भी भारी बारिश होने की संभावना है। अब लोकतंत्र इतना पारदर्शी तो नहीं हुआ है कि लगातार बारिश हो और इलाके का कोई पुल ही नहीं बरखा’ टाइप की शायरी भी करने लगे थे। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि बादल बनने से अच्छा है, अफसर बनना। बरखा के भाई ने घुड़की पिलाई तो साहब ने कविताई छोड़ दी। अच्छा ही हुआ। साहब अब सोचते हैं। कविताई में ऊपर की कमाई की कोई संभावना ही नहीं होती। कविताई से किसी ने क्या पा लिया?

करोड़ों लोगों पर उनका नाम कटने की चिंता तारी है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के दो हफ्ते बाद भी, कई लोगों को मतदाता आवेदन फॉर्म तक नहीं मिले हैं। अपनी पात्रता सिद्ध करने को मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के पास आपके आयोग द्वारा तय किए गए 11 दस्तावेजों में एक भी नहीं है। आमतौर पर जारी



किए जाने वाले पहचानपत्र, जिनमें वोटर कार्ड भी शामिल है, को सत्यापन हेतु बेवजह अवांछित बना दिया है। इस मामले में जारी अस्पष्ट निर्देश आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में और अधिक ऊहापोह मचा रहे हैं, जो उन्हें नौकरशाही के अंधे फैसलों के दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर रहा है।

जिस देश में सरकार ने नागरिकता संबंधी कोई दस्तावेज ही जारी नहीं किया हो, वहां आप उनसे इस संदर्भ में, अत्यंत सटीक एवं संकीर्ण विकल्पों से

गिरे। बस्तियों की सड़कों में खड़े ही नहीं हों। साहब को पता था कि कौन-कौन से पुल गिरने वाले हैं और कौन-कौन सी सड़कें धंस सकती हैं। साहब ने तो अपने लोगों को यह तक निर्देश दे दिये थे कि पुल गिरने की स्थिति में उसकी तुरंत मरम्मत की योजना की फाइल बना लें और संबंधित ठेकेदारों से सब तय कर लें।

जब पुल बने थे, तब भी साहब की जेबों में हरियाली गई थी। अब, जब पुल गिर जाएंगे तो भी साहब की जेबें हरियाएंगी। यह रिश्तव नहीं है। लोकतंत्र के विकास में साहब के योगदान को देखते हुए ठेकेदारों द्वारा दिया गया थोड़ा-सा सम्मान

सच सामने आते ही कांपने लगते हैं। बरसात का पानी किसी सच से कम नहीं होता। पुल कांप रहा है तो अपनी मौत खुद मरेगा सर, हम उसे कब तक बचा सकते हैं?’ लेकिन साहब के दुर्भाग्य से पुल बच गया। वो नहीं गिरा। साहब ने पुल के गिरने की खबर पढ़ने के लिये अपने मोबाइल के संदेश टटोले, अखबार को बार-बार पलटा, टीवी पर चैनल बदले लेकिन कहीं उन्हें वह सब नहीं मिला, जो वो जानना चाहते थे। उन्हें मातहत ने बताया कि कुछ देर तक तो लोगों की जान सांसत में पड़ी रही लेकिन उसके बाद पुल को पता नहीं क्या हुआ कि उसने कांपना बंद कर दिया।

लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाने का वक़्त

मनोज झा

प्रिय मुख्य चुनाव आयुक्त! मैं समय के गलियारे के छोर से आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे हमारे गणतंत्र के एकदम प्रारंभिक वर्षों में यह सुनिश्चित करने का पावन काम सौंपा गया था कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, वर्ग या क्षेत्र का हो, मुक्त और बेखौफ होकर अपना वोट डाल सके। यह संवैधानिक कर्तव्य और ऐतिहासिक चिंतन की वह गहरी भावना है, जिसके आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हमने लोकतांत्रिक स्व-शासन के एक महान प्रयोग की नींव रखी। एक ऐसा गणतंत्र, जहां प्रत्येक वयस्क, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत कुछ भी हो, समान मताधिकार रखता है।

जब मैंने 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव करवाया था, तब गणतंत्र शैशव काल में था, विभाजन के जख्म ताजा थे, निरक्षरता से बोझिल और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

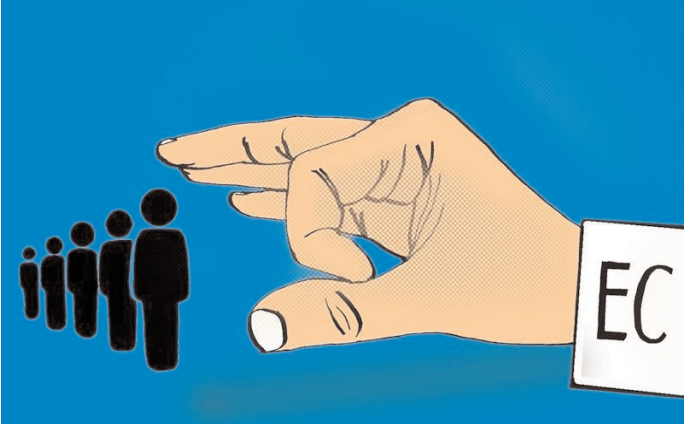
के विचार से अनभिज्ञ। फिर भी, भारतीय जनता ने चुनावी प्रक्रिया में अटूट विश्वास जताया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इसे संचालित करने वाली संस्था निष्पक्षता, दृढ़ता और कार्यपालिका से पूर्ण आजादी के साथ काम कर रही है।

आज, जरूरी है कि यह विश्वास डगमगाए नहीं, क्योंकि बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में आई हालिया रिपोर्टें बेहद परेशान करने वाली हैं। आरोप हैं कि यह प्रक्रिया गरीबों, भूमिहीनों और सामाजिक रूप से हाशिए के लोगों को असमान रूप से प्रभावित कर रही है, जिनके लिए मतदान का अधिकार अक्सर सशक्तीकरण का एकमात्र वास्तविक साधन रहा है।

वहां चल रहा पुनरीक्षण कार्य लोगों का नाम काटने और शक्तिहीन करने वाला प्रतीत हो रहा है। दूरगामी परिणामों वाले इतने विशाल काम को, इतने कम समय में करने का प्रयास तक आपदा का न्स्खा बन

सकता है। आप यह काम एक ऐसे राज्य में कर रहे हैं जहां से दूसरे राज्यों में प्रवासी कामगार बनने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जिसका भूगोल कुछ महीने बाद से अस्त-व्यस्त रहता है। आप पर सूचना प्रकटीकरण में कंजूसी, चर्चाओं और संवाद में अडियल रवैया अपनाने और सबसे दुखद यह कि सार्वजनिक संवाद में आपके द्वारा लड़ाकू रुख रखने के आरोप लगते हैं। इन दिनों आलोचकों को चुप कराने के लिए नियम-पुस्तिका का वास्ता देना एक प्रकार से नैतिकतावादी हथकंडा बन गया है। नियम-पुस्तिका न्यूनतम और बुनियादी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए होती है।

करोड़ों लोगों पर उनका नाम कटने की चिंता तारी है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के दो हफ्ते बाद भी, कई लोगों को मतदाता आवेदन फॉर्म तक नहीं मिले हैं। अपनी पात्रता सिद्ध करने को मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के पास आपके आयोग द्वारा तय किए गए 11 दस्तावेजों में एक भी नहीं है। आमतौर पर जारी



अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। उनका वजूद है, यह वह पहले ही साबित कर चुके हैं (आधार कार्ड, राशन मामले में जारी अस्पष्ट निर्देश आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में और अधिक ऊहापोह मचा रहे हैं, जो उन्हें नौकरशाही के अंधे फैसलों के दौर से गुजरने के लिए मजबूर कर रहा है।

जिस देश में सरकार ने नागरिकता संबंधी कोई दस्तावेज ही जारी नहीं किया हो, वहां आप उनसे इस संदर्भ में, अत्यंत सटीक एवं संकीर्ण विकल्पों से

चुनावों के लिए मतदाता सूची को अपडेट करना जरूरी है, लेकिन बिहार में वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण बेहद दोषपूर्ण और संभवतः अलोकतांत्रिक प्रतीत होता है।

जब मैंने पहले आम चुनावों की अध्यक्षता की थी, तो हमें साजो-सामान पहुंचाने और बुनियादी ढांचा संबंधी भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। फिर भी हमने यह सुनिश्चित किया कि देश के सबसे दूरदराज इलाकों में रहने वाले गरीब से गरीब नागरिकों का न केवल पंजीकरण हो, बल्कि उन्हें मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाए। यह एक नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता थी। कृपया यह याद रखना कि यदि मतदाता सूची से नाम काटने का औजार बन जाए, तो यह करके चुनाव आयोग न केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 की मूल आत्मा का भी उल्लंघन करने का दोषी होगा।

दुखद है कि चुनाव आयोग संस्था, जिसे हमने कार्यपालिका के अतिक्रमण के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में गढ़ा था, की राजनीतिक तटस्थता पर अब प्रश्न लगे हैं। लेकिन एक सार्वजनिक संस्था के जीवन में, धारणा और विश्वसनीयता उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि कार्यवाई। यहां चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है। इसे भय या पक्षपातमुक्त स्वर में बोलना चाहिए। सबसे बढ़कर, इसे अंतिम मतदाता का विश्वास जीतना चाहिए। सुनिश्चित हो कि आपका प्रत्येक कार्य, कथन और निर्णय आयोग की निष्पक्षता को पुष्ट करने वाला रहे। यदि वर्तमान सरकार सीमा पार करती है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे संकोच सहित नहीं, बल्कि संवैधानिक साहस के साथ खींचकर वापस लाएं। इतिहास उन चुनाव आयुक्तों को याद करेगा, जिन्होंने शक्तिहीन मतदाता की रक्षा की।

